बिहार सरकार

आमंत्रण-पत्र

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018 – 354/आ0नि0का0 दिनांक-28 मार्च'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

दिव्यांगजनों के अभिभावक एवं राष्ट्रीय न्यास (ऑटिज्म 'सी.पी.', मानसिक मंदता 'बौद्धिक दिव्यांग' एवं बहुदिव्यांग) के अभिभावकगण तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि

विषय :- **दिनांक-02.04.2019 (मंगलवार) को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस** (World Autism Awareness Day-WAAD) **के अवसर पर ऑटिज्म पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने में सक्षमता हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में वर्णित प्रावधानों एवं उसके अनुप्रयोग हेतु जागरूकता प्रसार से सम्बन्धित कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD) ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 02 अप्रैल को मनाया जाता है। तदनुसार दिनांक-02.04.2019 (मंगलवार) को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD) के अवसर पर ऑटिज्म पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने में सक्षमता हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में वर्णित प्रावधानों एवं उसके अनुप्रयोग हेतु जागरूकता प्रसार से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD) ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मदद की आवश्यकता को उजागर करता है ताकि वे समाज के अभिन्न अंग के रूप में संपूर्ण एवं सार्थक जीवन जी सके। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD) वर्ष 2019 का केन्द्रबिन्दु "सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी, सक्रिय भागीदारी" (Assistive Technologies, Active Participation) है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने में सक्षम बनाने वाली सहयोगात्मक प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करता है।

ऑटिज्म मस्तिष्क की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मस्तिष्क संबंधी विकार है व एक विकासात्मक दिव्यांगता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (**ASD**) से 68 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति प्रभावित होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के लिए कोई उपचार नहीं है, लेकिन बातचीत और भाषा थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, शैक्षणिक सहयोग और कई अन्य हस्तक्षेप बच्चों एवं माता-पिता की मदद कर सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किफायती तकनीकी की उपलब्धता और इस्तेमाल तथा उन तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने तथा इस तरह की नई तकनीकों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी प्रावधान उल्लिखित है।

क्र0पृ030.............

उक्त कार्यशाला के दौरान उपरोक्त वर्णित पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी तथा आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के सम्बन्ध में SVEEP कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑटिज्म से प्रभावित दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति सहज, सुलभ एवं समावेशी मतदान हेतु जागरूक किया जायेगा। उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के अभिभावक तथा सिविल सोसायटी एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि आमंत्रित है।

दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के अभिभावक तथा सिविल सोसायटी एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि दिनांक-02.04.2019 (मंगलवार) को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD) के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित होकर इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी होने की कृपा करें।

कार्यशाला आयोजन की तिथि - 02.04.2019 (मंगलवार)
समय - पूर्वा0 11:30 बजे से अप0 01:30 बजे तक
कार्यशाला स्थल - पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर स्थित राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय का सभा कक्ष

विश्वासभाजन
28.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018 354/आ0नि0को0 दिनांक-28 मार्च'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के सम्बन्ध में SVEEP कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑटिज्म से प्रभावित दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति सहज, सुलभ एवं समावेशी मतदान हेतु जनजागरूकता प्रसार को समाहित करते हुए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (02 अप्रैल) के आयोजन के सम्बन्ध में अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा करें।

28.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018 354/आ0नि0को0 दिनांक-28 मार्च'19

प्रतिलिपि:-सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि अपने-अपने स्तर से आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के सम्बन्ध में SVEEP कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑटिज्म से प्रभावित दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति सहज, सुलभ एवं समावेशी मतदान हेतु जनजागरूकता प्रसार को समाहित करते हुए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (02 अप्रैल) आयोजित करने की कृपा करें।

28.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018 354/आ0नि0को0 दिनांक-28 मार्च'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018 354/आ0नि0को0 दिनांक-28 मार्च'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।